

दिनांक 12.06.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी एवं अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह फरस्वाण न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियोजन साक्षी अनुपस्थित। अभियोजन की ओर से स्थगन प्रपत्र संख्या 45ख प्रस्तुत किया गया। सुना। न्यायहित में स्वीकार। अभियोजन साक्षियों के विरुद्ध समन जारी किया जाये। गवाह तलब हो।

पत्रावली शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 22.06.2023 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चमोली।